(14) (23)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : आर. के.मिश्रा

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3305/2018/रीवा/भू0रा0 विरूद्व आदेश दिनांक 21–5–2018 पारित द्वारा आयुक्त रीवा सभांग सतना का प्रकरण 07/अपील/ 2017–18

श्रीमती हरदीप कौर पत्नी श्री सरदार रणजीत सिंह
निवासी गोलपार्क रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

.....आवेदक

बनाम

1. बीरेन्द्र लुक्कड़ तनय नथमल लुक्कड़
निवासी जलगांव महाराष्ट्र द्वारा मुख्तार आम
सरदार रणजीत सिंह तनय जागीर सिंह
निवासी गोलपार्क रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

2. श्री महेन्द्र कुमार मोहनानी तनय वासुदेव मोहनानी
निवासी सिन्धी कालोनी रानी तालाब रीवा तहसील
हुजूर जिला रीवा म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री नागेन्द्र मणि त्रिपाठी, अभिभाषक, आवेदक

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 5/2/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू– राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त रीवा सभांग रीवा के आदेश दिनांक 21–5–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नजूल प्लाट कमांक 3511/4 का अंश रकवा 800 वर्गफिट का नामांतरण विकय पत्र के आधार पर किये जाने बावत आवेदन तहसीलदार नजूल के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार नजूल जिला रीवा ने आदेश दिनांक 10–9–15 से आवेदन निरस्त किया। विचारण न्यायालय के आदेश के

विरूद्ध अपील नजूल अधिकारी रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। नजूल अधिकारी ने आदेश दिनांक 28–9–2017 को अपील निरस्त की। नजूल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो आदेश दिनांक 21–5–2018 से निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के पक्ष में अनावेदक कमांक 1 के मुख्त्यारआम रंजीतसिंह द्वारा विकय पत्र संपादित कराया है। विकय पत्र दिनांक 17–9–2010 को वीरेन्द्र सिंह ही वादग्रस्त भूमि का भूमिस्वामी नही था। ऐसी स्थिति में विकय पत्र अधिकार विहीन पंजीकृत कराया गया। आवेदक के पक्ष में कब्जा अंतरण नहीं पाया गया। इसी कारण तहसीलदार द्वारा आवेदक का नामांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया है। विचारण न्यायालय ने विधिवत जांच उपरांत आदेश पारित किया है, जिसे नजूल अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने भी परीक्षण विचारोपरांत सही पाया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 21–5–2018 स्थिर रखा जाता है।

05/02/19

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर